15.05.2024 पत्रावली पेश हुई।

वादी एवं अधिवक्ता वादी अनुपस्थित। रूक-रूक कर तीन बार आवाज लगवाई गई, बावजूद इसके कोई उपस्थित नहीं। इससे प्रतीत होता है कि वादी एवं अधिवक्ता वादी अपने दावे को लेकर गम्भीर नहीं है अतः दावा अदम हाजिरी अदम पैरवी में इसी रूल पर खारिज किया जाता है। फरावली फैसल शुमार होकर नम्बर सेकण्ड की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांवांर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.05.30 17:27:19 IST
Reason: SelfAttested